न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 119/2022
GCMS CASE NO-2022/119

1.मुन्नी देवी पुत्री किशनलाल पत्नी मूलचंद जाति माली निवासी वार्ड न0 9 सूरतगढ
2. आशाराम पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी वार्डन0 9 सूरतगढ
3. बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी वार्डन0 9 सूरतगढ

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. बेवी पुत्री किशनलाल पत्नी माणकचंद जाति माली निवासी किशमीदेसर रामदेव कालोनी बीकानेर
3. मीना पुत्री किशनलाल पत्नी श्यामसुन्दर जाति माली निवासी गोमेश्वर बस्ती लक्ष्मीनाथ मंदिर के पीछे बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर
4. लक्ष्मी पुत्री किशनलाल पत्नी दौलतराम जाति माली निवासी राणीसर बास बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राज.

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. श्री योगेश शर्मा, अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट संख्या 1

:: निर्णय :: दिनांकः– 27.08.2024

1. अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 08.09.2006 अनवान सरकार बनाम किशनलाल में बिना विधिवत सूचना के अपीलांट के पिता के नाम रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 467/9 में 6.325 है0 बारानी भूमि के आदेश है0, रकबा को पैराफेरी क्षेत्र में मानकर खारिज कर दिया गया था जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न है।

तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 08.09.2006 को अपीलांट के पिता को टीसी आवंटन रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 467/9 में 6.325 है0 भूमि को पैराफेरी क्षेत्र मानकर खारिज कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश जारी किये गये है। भूमि का टीसी नवीनीकरण सम्वत 2061 तक लगातार होता रहा है अपीलाधीन आदेश जो विधि विरूद्ध व कानून के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांटगण को बिना सुने अपीलांटगण के टीसी रकबा को खारिज कर रकबा बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 08.09.2006 द्वारा अपीलांट की रोही कस्बा सूरतगढ को रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 467/9 में 6.325 है0 भूमि का आरजी आवंटन अधिकार क्षेत्र के बिना कानून के विपरीत एवं आपीलांट को सुने बिना विधि प्रकिया के विपरीत पत्रावली एवं साक्ष्य की अनदेखी कर पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि प्रकिया के विपरीत व अपीलांट के पिता को बिना सुने व सुनवाई हेतु प्रेषित नोटिस की विधि विरूद्ध तरीके के की गई तामीली को विधि अनुसार मानकर अपीलांट के पिता के पीठ पीछे बिना सुने पारित किया गया अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय है। भूमि आवंटन के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को आवंटन की शर्तो के उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी प्रकार से आरजी काश्त भूमि का आवंटन निरस्त करने का विधिक रूप से कतई अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 संख्या 6(4) के तहत तहसीलदार सलाहकार समिति की सलाह से आवंटन करेगा। शर्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला-श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 19(1)(5) के तहत अभिधृति के पर्यवसन के प्रावधान दिये गये है। नियम 19 ए की शर्तो की अनुपालना नही करने से पट्टा निरस्त करने की शक्तियां जिला कलक्टर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तहसीलदार को उक्त शक्ति प्रदत्त नहीं है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 2(1)में कलेक्टर को निम्न से परिभाषित किया गया है:– collector means The collector of the district and includes(a) any officer appointed stage government allover or any the fiction and everse or any the prove collector under act and (b) any officer appointed before or after comman of this act or purpose colonization तहसीलदार सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है। जैसा कि आरआरडी 1958 पेज 89 पर माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने निर्णित किया है। jurisdiction order passed by court without jurisdication effect it is elamentaty principal of law that court has jurisdication over the subject matter of the litigation its judgment and order however. Precisely certain and technically correct they may be are mere nullities and not only voidable but are void and have no effect either as estoppels or otherwise and may not be set aside at any time by the court in which they are pro diced but may be declared to be void by every court in which they may be presented were the court in which they are peo diced but may be declared to be void by every court in which they may be presented were the court has no jurisdiction no amount of consent or waiver can confer it hence the order of the collector deciding that the house can confer it hence the order of the collector deciding that the house was waif propery and direction realization of the sale proceeds there of from the applicant was held ultra virus because it proceed upon and erroneous assumption that a revenue court has jurisdiction in the matter.

इसी प्रकार की आरआरडी 1992 पेज 117 पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकलपीठ ने निर्णय किया है। कि

jurisdiction order passed without jurisdication however precise certain technically correct is an null oit and it is not only voidable, but void

इसलिए क्षेत्राधिकार विहीन आदेश दिनांक 08.09.2006 निरस्त योग्य है। परंतु अपीलांट जो आवंटी है और भूमि धारण किये हुये है वे उक्त श्रेणी में नही आती है और ना ही उनके द्वारा किसी शर्त की उल्लंघना/अवहेलना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस शर्त की उल्लंघना की गई है अपने निर्णय में यह कतई अंकित नहीं किया है। इस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा न्याय निर्णय प्रकाशित आरबीजे–2003 पेज संख्या 162 पर प्रकाशित अनवान शैतान सिंह बनाम छित्तर(डीबी) द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि cpc 1980 order 20 rule 46 a and 7 non speaking order Without and concise statement of fact has no legal sancity and does not amount judgment. इस कारण से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एक छपे छपाये साइक्लास्टाइल एक सामानान्तर फार्म में नाम व भूमि का अंकन करते हुये हस्ताक्षर कर पारित किया गया है। इस प्रकार का पारित आदेश का पारित आदेश एक स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नही आता है। यह गलत, नियम व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से

अतिरिक्त ... सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 18:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा उपस्थित आए। रेस्पोडेंट 01 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये शेष रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 बाद सूचना अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मृतक किशनलाल के विरूद्ध पेश किया है। इन आदेशों का ज्ञान प्रार्थी को दिनांक 12.10.2022 को तहसील से हुआ जब अपीलांट ने खातेदारी हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तो ज्ञान होते ही नकल का आवेदन किया दिनांक 13.10.2022 को नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील प्रस्तुत कर रहा है। नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के प्रार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

4. राजपैरोकार ने कथन किया कि अपीलांट ने मातहत न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 08.09.2006 के विरूद्ध दिनांक 10.11.2022 को 16 साल बाद बाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश की गई है, जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद मे विलम्ब का कोई ठोस कारण स्पष्ट नही किया है। संतोषजनक कारण के अभाव मे अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है।

5. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांटस द्वारा अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 08.09.2006 को अपीलांट के पिता को टीसी आवंटन रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 467/9 में 6.325 है0 भूमि को पैराफेरी क्षेत्र मानकर खारिज कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश जारी किये गये है। भूमि का टीसी नवीनीकरण सम्वत 2061 तक लगातार होता रहा है अपीलाधीन आदेश जो विधि विरूद्ध व कानून के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांटगण को बिना सुने अपीलांटगण के टीसी रकबा को खारिज कर रकबा बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 08.09.2006 द्वारा अपीलांट की रोही कस्बा सूरतगढ को रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 467/9 में 6.325 है0 भूमि का आरजी आवंटन अधिकार क्षेत्र के बिना कानून के विपरीत एवं आपीलांट को सुने बिना विधि प्रकिया के विपरीत पत्रावली एवं साक्ष्य की अनदेखी कर पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि प्रकिया के विपरीत व अपीलांट के पिता को बिना सुने व सुनवाई हेतु प्रेषित नोटिस की विधि विरूद्ध तरीके के की गई तामीली को विधि अनुसार मानकर अपीलांट के पिता के पीठ पीछे बिना सुने पारित किया गया अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय है। भूमि आवंटन के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को आवंटन की शर्तो के उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी प्रकार से आरजी काश्त भूमि का आवंटन निरस्त करने का विधिक रूप से कतई अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 संख्या 6(4) के तहत तहसीलदार सलाहकार समिति की सलाह से आवंटन करेगा। शर्त संख्या 19(1)(5) के तहत अभिधृति के पर्यवसन के प्रावधान दिये गये है। नियम 19 ए की शर्तो की अनुपालना नही करने से पट्टा निरस्त करने की शक्तियां जिला कलक्टर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तहसीलदार को उक्त शक्ति प्रदत्त नहीं है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 2(1)में कलेक्टर को निम्न से परिभाषित किया गया है:– collector means The collector of the district and includes(a) any officer appointed stage government allover or any the fiction and everse or any the prove collector under act and (b) any

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

officer appointed before or after comman of this act or purpose colonization तहसीलदार सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है। जैसा कि आरआरडी 1958 पेज 89 पर माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने निर्णित किया है। jurisdiction order passed by court without jurisdication effect it is elamentaty principal of law that court has jurisdication over the subject matter of the litigation its judgment and order however. Precisely certain and technically correct they may be are mere nullities and not only voidable but are void and have no effect either as estoppels or otherwise and may not be set aside at any time by the court in which they are pro diced but may be declared to be void by every court in which they may be presented were the court in which they are peo diced but may be declared to be void by every court in which they may be presented were the court has no jurisdiction no amount of consent or waiver can confer it hence the order of the collector deciding that the house can confer it hence the order of the collector deciding that the house was waif propery and direction realization of the sale proceeds there of from the applicant was held ultra virus because it proceed upon and erroneous assumption that a revenue court has jurisdiction in the matter.

इसी प्रकार की आरआरडी 1992 पेज 117 पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकलपीठ ने निर्णय किया है। कि
jurisdiction order passed without jurisdication however precise certain technically correct is an null oit and it is not only voidable, but void
इसलिए क्षेत्राधिकार विहीन आदेश दिनांक 08.09.2006 निरस्त योग्य है। परंतु अपीलांट जो आवंटी है और भूमि धारण किये हुये है वे उक्त श्रेणी में नही आती है और ना ही उनके द्वारा किसी शर्त की उल्लंघना/अवहेलना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस शर्त की उल्लंघना की गई है अपने निर्णय में यह कतई अंकित नहीं किया है। इस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा न्याय निर्णय प्रकाशित आरबीजे–2003 पेज संख्या 162 पर प्रकाशित अनवान शैतान सिंह बनाम छित्तर(डीबी) द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि cpc 1980 order 20 rule 46 a and 7 non speaking order Without and concise statement of fact has no legal sancity and does not amount judgment. इस कारण से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एक छपे छपाये साइक्लास्टाइल एक सामानान्तर फार्म में नाम व भूमि का अंकन करते हुये हस्ताक्षर कर पारित किया गया है। इस प्रकार का पारित आदेश का पारित आदेश एक स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नही आता है। यह गलत, नियम व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट राजपैरोकार ने कथन किया कि न्यायिक दृष्टांत आर आरडी 1992 पेज 431 के अनुसार A Lesse of Temporary cultivation automaticall terminates at the end of lease period-an heir to a decasesdalloteecan not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits.न्यायिक दृष्टांत आर आरटी 2018 पेज 364 के अनुसार A Lease for Temporary cultivation come on an end automatically on expiry of the term of lease. अर्थात टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही होता है, एक साल के पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पत्रावली में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 13:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि ना तो अपीलांट ने कभी अपना टीसी आवंटन पुख्ता करवाने हेतु कभी प्रार्थना पत्र पेश किया तथा ना हीं रकबा पुख्ता आवंटन हुआ। अपीलांट महज टीसी आवंटी है। न्यायिक दृष्टांत आरआरजे 1999 पेज 214 अनुसार टीसी आवंटी को रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगें। अपीलांट्स ने जैर अपील आदेश एक तरफा आदेश बताकर हस्तगत अपील में अनुतोष चाहा है। जबकि अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में ही एकतरफा आदेश निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थे। अपीलांट्स ऐसे आदेशों के विरूद्व अपीलपेशकरने के अधिकारी नहीं है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही अपीलांट्स ने कब्जा काश्त संबंधी दस्तावेजात पेश किये है।टीसी आवंटन नियम 1955 के नियम 4 (ड) के अनुसार टीसी आवंटन निरस्त करने बाबत जिला कलक्टर की शक्तियां तहसीलदार को प्रदान की गई है तथा जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा तहसीसलदार सूरतगढ़ को अधिकृत भी किया गयाहैं। आवंटी को टीसी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त रकबा टीसी आवंटन नहीं किया गया था तथा रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही अराजीराज था एव लगातार कब्जा काश्त के अभाव में रकबा निरस्त योग्य ही था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्तियुक्त , विधिसंगत एवं नियमानुसार ही पारित किया गया है जो यथावत रखने योग्य है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखने के आदेश फरमावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया अपीलांट ने अपीलमीमों में अंकित किया है कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा मृतक के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि आवंटी किशनलाल पुत्र हंसराज की मृत्यु को हो गई थी। उनकी मृत्यु के सम्बंध में कोई सूचना अपीलांट द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को प्रस्तुत नहीं की गई थी। अपीलांट का मूल कर्तव्य था कि वह आवंटी की मृत्यु की सूचना तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत करते। अतः अपीलांट का यह कथन कतई सिद्ध नहीं होता कि तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के सूरतगढ के ख.न. 467/9 में 6.325 है0 भूमि को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई थी। मूल आवंटी को टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया गया था। उक्त टीसी आवंटन को पुख्ता करवाने हेतु अपीलांट द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट का टीसी आवंटन पुख्ता हुआ है। अपीलांट का टीसी खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त सिद्ध नही हो रहा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तो की अक्षरक्षः पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय प्रकरण संख्या 157/2006 अनवान सरकार बनाम किशनलाल वल्द हंसराज जाति सैनी सूरतगढ में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2006 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 27.08.2024 को निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.27 18:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner